

फॉर्म एन एल -32- डाउनग्रेड किए गए निवेश का विवरण

बीमाकर्ता का नाम : ईसीजीसी लिमिटेड

पंजीकरण सं : 124

30 जून 2022 तक का विवरण

डाउनग्रेड किए गए निवेश का विवरण

प्रस्तुति की अवधि : तिमाही

(Amount in Rs. Lakhs)

सं	प्रतिभूति का नाम	निवेश की श्रेणी (सी ओ आई)	राशि	खरीद की तारीख	रेटिंग एजेंसी	मूल ग्रेड	वर्तमान ग्रेड	अंतिम डाउन ग्रेड की तारीख	टिप्पणि याँ
<b>A.</b>	<b>तिमाही 1 के दौरान</b>								
NIL									
<b>B.</b>	<b>आज की तारीख 2 को</b>								
1	9.35% स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि 2026	ई पी बी टी	500.00	20-Sep-11	केयर	AA+	AA	5-Aug-2021	
2	9.15% इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फिनन्शियल सर्विसेस 2020	आई ओ आर डी	1000.00	02-Mar-10	इक्रा	AAA	D	17-Sep-2018	
3	9.20% इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज 2020	आई ओ आर डी	500.00	02-Jul-14	इक्रा	AAA	D	17-Sep-2018	
4	9.82% इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग और वित्तीय सेवाएं 2022	आई ओ आर डी	1000.00	31-Jan-12	इक्रा	AAA	D	17-Sep-2018	
5	9.80% इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग और वित्तीय सेवाएं 2022	आई ओ आर डी	1000.00	12-Jun-12	इक्रा	AAA	D	17-Sep-2018	
6	9.10% इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज 2020	आई ओ आर डी	500.00	31-Jan-13	इक्रा	AAA	D	17-Sep-2018	
7	9.95% इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज 2019	आई ओ आर डी	1000.00	13-Feb-14	इक्रा	AAA	D	17-Sep-2018	
8	9.90% इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग और वित्तीय सेवाएं 2021	आई ओ आर डी	1000.00	20-Feb-14	इक्रा	AAA	D	17-Sep-2018	
9	9.50% इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग और वित्तीय सेवाएं 2024	आई ओ आर डी	1000.00	01-Aug-14	इक्रा	AAA	D	17-Sep-2018	
10	9.55% इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग और वित्तीय सेवाएं 2024	आई ओ आर डी	1000.00	20-Aug-14	इक्रा	AAA	D	17-Sep-2018	
11	9.00% इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग और वित्तीय सेवाएं 2024	आई ओ आर डी	2500.00	31-Dec-14	इक्रा	AAA	D	17-Sep-2018	
12	8.94% कैनफिन होम्स लिमिटेड 2024	एच टी ओ एन	1000.00	05-Mar-15	इंडिया रेटिंग	AAA	AA+	18-Dec-2019	
13	8.67% पंजाब एंड सिंध बैंक 03.12.2029	ओ आर ए डी	2000.00	25-Nov-19	इक्रा	AA	AA-	23-Apr-2020	

अपलोड करने की तिथि: 10 अगस्त 2022

संस्करण 1.0

<https://www.ecgc.in>

नोट

- 1 तिमाही के दौरान डाउन ग्रेडेड निवेश का विवरण प्रदान करें।
- 2 पिछली तिमाही के दौरान डाउन ग्रेडेड के रूप में सूचीबद्ध वर्तमान में अपग्रेड किए गए निवेश को संचयी सूची से हटा दिया जाएगा।
- 3 प्रत्येक निधि के संबंध में प्रपत्र तैयार किया जाएगा।
- 4 निवेश की श्रेणी (सीओआई) प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार होगी
- 5 समय-समय पर संशोधित निवेश विनियम, को संदर्भित किया जाएगा